दिनांक:02.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 60 किलो 450 ग्राम डोडा पोस्त (कीमत करीब 60,000/-रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा नशीले पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 02.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त परवेज पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम चन्दपुरा उर्फ रोशनपुर थाना तीतरो जिला सहारनपुर** को 60 किलो 450 ग्राम डोडा पोस्त सहित ग्राम जैनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 303/24 धारा 8/15/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त परवेज ने पूछने पर बताया कि मैं एम.बी.ए पास हूँ मैं अपने भाई और अपने साथी के साथ मिलकर चोरी छिपे डोडा पोस्त बेचने का काम करता हूँ हम लोग अपने गांव में पहलवान ढावा के नाम से होटल चलाते है। हमारे होटल पर जो नशा करने वाले ड्राईवर लोग आते है, उनको हम लोग यह नशीला सामान बेच देते है। आज मेरे भाई ने किसी बरेली के व्यक्ति से दो कुन्टल डोडा पोस्त मांगाया था जो कुछ घण्टे पहले हमें अपनी गाड़ी से माल देकर गया है। हमने उक्त डोडे पोस्त के कुल सभी 10 बोरे यही ईख में छिपा कर रख दिये थे और मैं व मेरा साथी यही बैठे हुए थे। मेरा भाई अपनी काले रंग की स्कार्पियो कार जिसका नम्बर मुझे याद नही है लेकर आया था तथा हम यहाँ से अपने खरीदे गये डोडा पोस्त को लेकर जाने वाले थे हमने 07 बोरे अपनी स्कार्पियो में लाद दिये थे जिन्हे लेकर मेरा भाई व साथी पुलिस वालो को देखकर गाड़ी में लेकर भाग गये और बचे हुए 03 बोरे सहित मैं पकड़ा गया। इस काम में हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

परवेज पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम चन्दपुरा उर्फ रोशनपुर थाना तीतरो जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

60 किलो 450 ग्राम डोडा पोस्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 464 प्रवेश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 2122 लोकेश तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 497 गौरव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

दिनांक: **02.09.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मारपीट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.08.2024 को वादी श्री शराफत अली पुत्र एवेज अली निवासी हाजी मक्खी के रिठान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्तगण 1.रघु पुत्र नसीम 2.फिरोज उर्फ फोजी पुत्र नामालूम 3. हसीन पुत्र नसीम 4. चुन्टो पुत्र नसीम 5. समीर पुत्र नसीम 6.शानू पुत्र नामालूम 7.नसीम पुत्र नामालूम समस्त निवासीगण नामालूम द्वारा वादी व वादी के लडके तथा दोस्त आशु के साथ एक राय होकर मारपीट व गाली गलौच करने तथा अभियुक्त रघु द्वारा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर मोके से भाग जाने की सूचना के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 233/24 धारा 352/190/191(2)/191(3)/115(2)/109 बीएनएस बनाम रघु आदि 06 अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 वांछित अभियुक्त हसीन पुत्र नसीम निवासी हाजी मख्खी का रिठान महक सिटी कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को महक सिटी कालोनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभि0 ने माफी मागंते हुए बताया कि घटना के समय मारपीट करते हुए मेरे भाई रघु ने तमन्चे से फायर कर दिया था तथा वहाँ पर भीड को बढता देख रघु तमन्चे को लेकर वहाँ से भाग गया था जिसको पुलिस द्वारा स्टार सिटी कालौनी के पास स्थित ईंट के भट्टे से पूर्व में बरामद कर लिया है और मैं भी मौके से फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हसीन पुत्र नसीम निवासी हाजी मख्खी का रिठान महक सिटी कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री विपिन कुमार सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 974 अमित भाटी सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 1215 कपिल गौड सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा एयरफोर्स कर्मी की स्कूटी को टक्कर मारकर दुर्घटना करने वाले वांछित ट्रक चालक अभियुक्त को ट्रक सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 31.08.2024 को थाना सरसावा पर वादिया श्रीमति अदिती सिह पत्नि स्व0 आशुतोष सिह(एयरफोर्स स्टेशन सौराना मे कार्यरत) निवासी ग्राम चरपुखरी जिला भोजपुर बिहार की लिखित तहरीर बाबत सहारनपुर अम्बाला रोड पर वादिया के पति आशुतोष की स्कूटी न0 MH12MZ4301 मे वाहन ट्रक PB 65BD0502 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा टक्कर मारकर वाहन सहित भाग जाना व उपचार के दौरान वादिया के पति की मृत्यु हो जाने की सूचना के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0स0 262/24 धारा 281/125(2)/106(1) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर ट्रक चालक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 02.09.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए एक्सीडेन्ट की घटना कारित कर एयरफोर्स कर्मी को घायल कर देने वाले वांछित ट्रक चालक **अभियुक्त खुर्शीद हसन पुत्र जिन्दा हसन निवासी घाना खन्डी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

खुर्शीद हसन पुत्र जिन्दा हसन निवासी घाना खन्डी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा स0पुर
3. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा स0पुर
4. है0का0 1050 नितिन कुमार थाना सरसावा स0पुर
5. का0 1959 विनीत कुमार थाना सरसावा स0पुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 02-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 08.03.2018 को वादी आमिर खॉ पुत्र शौकत खॉ नि0 ग्राम चन्दौरा थाना बिनावर जनपद बदायू द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत **अभियुक्त मुन्ना खॉ पुत्र मटरू खॉ नि0 चन्दौरा थाना बिनावर जनपद बदायू** द्वारा वादी के मामा की गला घोटकर हत्या कर देने की सूचना पर थाना सरसावा पर मु0अ0स0-86/2018 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 359/2018 पर माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 02.09.2024 को **मुन्ना खॉ पुत्र मटरू खॉ को मु0अ0स0-86/2018 धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री राजवीर सिंह
विवेचक एसओं श्री यशपाल राणा
पैरोकार का0-104 सलमान थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।